कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/खेलकूद–3/35101/वार्षिकपंचांग/2026–27 दिनांक : यथा हस्ताक्षर

:: कार्यालय आदेश ::

सत्र 2026–27 की 70वीं जिला एवं राज्य स्तरीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (17 व 19 वर्ष आयु वर्ग) विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रतियोगिता पंचांग आवश्यक निर्देशों सहित अनुपालनार्थ प्रसारित किया जाता है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों में पंचांग एवं निर्देशों को अविलम्ब प्रसारित करें। विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु निम्नानुसार खेल समूह बनाये गये हैः–

प्रथम समूह		द्वितीय समूह		तृतीय समूह	
क्र. सं.	खेल	क्र. सं.	खेल	क्र. सं.	खेल
1	टेबल टेनिस	1	सॉफ्टबाल	1	ताईक्वांडो
2	राईफल शूटिंग	2	जूडो	2	लॉन टेनिस
3	हेण्डबाल	3	कबड्डी	3	तीरंदाजी
4	बास्केटबाल	4	सेपक टकरा	4	क्रिकेट
5	भारोत्तोलन	5	योगासन	5	साइक्लिंग रोड़
6	वॉलीबाल	6	हॉकी	6	रग्बी फुटबाल
7	कुश्ती	7	फुटबाल	7	रोलर स्केटिंग
8	बॉक्सिंग	8	शतरंज	8	बैडमिन्टन
9	नेटबॉल	9	जिम्नास्टिक्स	9	कराते
10	वुशु	10	तैराकी	10	मलखम्ब
11	साइक्लिंग ट्रेक	11	खो खो		

चतुर्थ समूह	एथलेटिक्स	17 एवं 19 वर्ष	छात्र – छात्रा

प्रतियोगिताएं निर्धारित निम्न तिथियों के अनुसार ही आयोजित की जावें :–

समूह	विद्यालय स्तर	जिला स्तर	राज्य स्तर
प्रथम समूह	25.08.2026 से पूर्व	30.08.2026 से 03.09.2026	09.09.2026 से 15.09.2026
द्वितीय समूह		12.09.2026 से 16.09.2026	22.09.2026 से 28.09.2026
तृतीय समूह		24.09.2026 से 28.09.2026	04.10.2026 से 10.10.2026
चतुर्थ समूह		13.10.2026 से 17.10.2026	23.10.2026 से 29.10.2026

जिला व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु शालादर्पण मॉड्यूल पर ऑनलाईन फार्म भरने की अन्तिम दिनांक प्रतियोगिता में टीम रिपोर्टिंग दिवस से एक दिवस पूर्व तक रहेगी।

नोट :– स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा खेलों के आयोजन हेतु जारी कैलेण्डर के अनुमानित अवधि/कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की स्थिति में उपरोक्तानुसार पंचांग में भी परिवर्तन किया जाएगा।

विद्यालय/क्षेत्रीय/जिला स्तर तक की प्रतियोगिताओं का आयोजन विभागीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृतियां कार्यक्रम, खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 तथा नवीन संस्करण 2021/2022 के अनुसार पूर्ववत राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं से पूर्व आयोजित करवाये जाना सुनिश्चित करें।

सत्र 2026–27 की प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

01. सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जिशिअ (मु) माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित तिथियों के मध्य दलों की संख्या के आधार पर न्यूनतम दिनों का कार्यक्रम तय कर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं को आयोजित करें परन्तु क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं आवश्यकतानुसार विद्यालयी स्तर की प्रतियोगिता के पश्चात एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व आयोजित करावें। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं

gurusevarth.com

निर्धारित तिथियों एवं स्थानों पर निर्धारित विद्यालयों द्वारा ही आयोजित की जावेगी। तिथियों एवं प्रतियोगिता स्थलों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

02. सत्र 2026–27 में सभी स्तर की प्रतियोगिताओं में संभागित्व के लिए खिलाड़ियों की जन्म तिथि निम्नानुसार होगीः–

(1) 19 वर्ष आयुवर्ग छात्र–छात्रा के लिए 01.01.2008 को अथवा उसके बाद तथा माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत हो।

(2) 17 वर्ष आयुवर्ग छात्र–छात्रा के लिए 01.01.2010 को अथवा उसके बाद तथा माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 6 से 12 तक नियमित अध्ययनरत हो।

03. जनरल सेक्रेटरी, एस. जी. एफ. आई. के पत्र दिनांकः 10.08.2017 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः 24.08.2017 के द्वारा जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु विभिन्न आयुवर्गों में कक्षा की बाध्यता को समाप्त किये जाने के कारण निम्नानुसार संशोधन जारी किये गए हैं :–

a) कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर चुका है वह किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग नहीं ले सकता है।

b) 17, 19 वर्ष आयुवर्ग की छात्र–छात्रा प्रतियोगिता में कक्षा 06 से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग नहीं ले सकता है।

c) यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत है और वह 17 वर्ष आयुवर्ग (छात्र–छात्रा) की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेना चाहता है तो उसको कक्षा 10 की अंकतालिका/बोर्ड प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

d) किसी भी आयुवर्ग की प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में खिलाड़ी की आयु प्रमाणीकरण हेतु निम्नांकित में से दो प्रमाण पत्र जैसे 1. आधार कार्ड 2. पासपोर्ट 3. जन्म प्रमाण पत्र 4. कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाण पत्र/अंकतालिका आदि (यदि किसी विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 की परीक्षा दी जा चुकी है तो उपर्युक्त में से कोई भी दो, आयु प्रमाण पत्र में कक्षा 10 का बोर्ड प्रमाण पत्र/अंकतालिका आवश्यक रूप से प्रमाणीकरण हेतु लिया जाना है), यदि किसी विद्यार्थी द्वारा उपर्युक्त में से दो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो उसको सम्बद्ध प्रतियोगिता (जिला/राज्य/राष्ट्रीय) में भाग लेने के लिए अपात्र किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के क्षेत्राधिकार में होगा।

04. शिक्षा विभाग की सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खिलाड़ी की पात्रता, प्रवेश तिथि सभी कक्षाओं के लिए वास्तविक प्रवेश तिथि मान्य होगी।

05. प्रतियोगिता आयोजन के कार्यक्रम को निर्धारित करने (ड्राज डालने) की सुविधा हेतु सत्र 2025–26 में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम आठ स्थानों के परिणाम परिशिष्ट अलग से जारी किये जा रहे हैं।

06. सभी स्तर की विद्यालयी छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय प्रतियोगिता के संचालन हेतु निदेशालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/खेलकूद–3/35101/04–05 दिनांकः 20 अगस्त 2005 एवं नवीन आदेशों के अनुसार ही प्रतिनियुक्तियां की जावें। यथा संभव स्थानीय कार्मिकों/अध्यापकों की सेवाएं ली जावें।

07. सत्र 2026–27 की छात्र–छात्रा खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन शिक्षा विभागीय खेलकूद नियमावली एवं मार्गदर्शिका 2005 तथा नवीन संस्करण 2021/2022 के पश्चात समय–समय पर नियमों में हुए संशोधन एवं प्रदत् निर्देशों के अनुरूप ही किया जावें।

08. विशिष्ट विद्यालय जैसे स्पोर्टस स्कूल, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा विभागीय खेल छात्रावास के विद्यालय, संस्कृत शिक्षा निदेशालय के अधीनस्थ अध्ययनरत खिलाड़ियों का दल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी के दल तथा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न खेल छात्रावासों के दल के द्वारा चयनित एक **दल** कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेशांक–शिविरा/मा/खेलकूद–3/35101/वा.प/2021–22 दिनांकः 11.11.2021 के तहत पूर्व की भांति सीधे ही राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।

09. राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/अकादमी में प्रशिक्षणरत/अध्ययनरत खिलाड़ियों की सूची मय पूर्ण विवरण दिनांकः 30.08.2026 तक आवश्यक रूप से वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवावें। खेलवार छात्र–छात्रा सूची निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक को 25.08.2026 तक प्रस्तुत की जावें, जिससे जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक स्तर पर पूर्ण छानबीन पश्चात् प्रमाणित करते हुए उक्त सूचियां वाहक स्तर पर इस कार्यालय को यथाशीध्र भिजवाई जावेगी अन्यथा इन्हें सम्बद्ध खेल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु ड्राज में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। जिसका सम्पूर्ण दायित्व सचिव/अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय)माध्यमिक का होगा।

gurusevarth.com

10. उक्त विशिष्ट विद्यालयों का दल पूर्ण नहीं होता है तो इन विशिष्ट विद्यालयों के खिलाडी एवं अन्य किसी विद्यालय का पूर्व में राष्ट्रीय विद्यालयी प्रतियोगिता में भाग ले चुका श्रेष्ठ खिलाड़ी किसी विशेष कारण से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका है तो राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष उस खिलाड़ी का उक्त सत्र में प्रतियोगिता के समय अपने विद्यालय के संस्था प्रधान का नियमित विद्यार्थी होने का पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में संभागित्व प्रमाण पत्र (केवल पूर्व राष्ट्रीय विद्यालयी खिलाड़ी हेतु) की प्रमाणित छाया प्रति सहित खिलाड़ी स्वयं लेकर उपस्थित होता है तो चयन समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर चयन होने की स्थिति में निर्धारित संख्या में ही पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली चयन सूची में सम्मिलित किया जावेगा। ऐसे खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर चयन परीक्षण हेतु प्रतियोगिता समाप्ति से तीन दिन पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान को उपस्थिति देवें। छात्रा खिलाड़ी महिला प्रभारी के साथ उपस्थिति देवें।
11. सभी सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं शिक्षा विभागीय खेल छात्रावासों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2026–27 की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खेल विशेष हेतु प्रशिक्षण योजनान्तर्गत चयनित खिलाड़ियों में से ही अपने दल का गठन करें। विद्यालय के अचयनित खिलाड़ियों को सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास के दल में सम्मिलित नहीं किया जावें। शिक्षा विभाग का विशिष्ट **विद्यालय स्पोर्ट्स स्कूल,** के अन्तर्गत प्रवेश लिए खिलाड़ी संबंधित खेल में सीधे ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, एथलेटिक्स के छात्र–छात्रा अन्य खेलों में भी भाग ले सकते हैं, अन्य खेलों के छात्र–छात्रा एथलेटिक्स में भी भाग ले सकते हैं। इस हेतु विभाग द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स स्कूल के डे–स्कॉलर विद्यार्थियों का अलग से दल गठन कर अन्य सामान्य विद्यालयों के छात्र–छात्रा दलों की तरह जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दल भिजवाया जाएगा। डे–स्कॉलर को स्पोर्ट्स स्कूल के छात्रावासी खिलाड़ियों के चयनित दल में शामिल नहीं किया जावें।
12. सत्र 2003–04 से शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक : प.16( )शिक्षा–6/2002 दिनांक :07.01.2003 की अनुपालना में वर्तमान प्रतियोगिता शुल्क के नियमान्तर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीनस्थ जिलों के सभी विद्यालयों से कुल छात्र–छात्रा संख्या के अनुसार सामान्य वर्ग से 20/– एवं आरक्षित वर्ग से 10/– प्रति छात्र–छात्रा की दर से एकत्रित राशि का 50% (प्रतिशत) राशि राज्य के समस्त संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक नॉडल अधिकारी को प्रतियोगिताओं के आयोजन से पूर्व जमा करवाने की शर्त पर ही संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ियों को 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयुवर्ग के छात्र–छात्रा वर्ग के शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित खेलों में एवं एथलेटिक्स 17 वर्ष एवं 19 वर्ष छात्र–छात्रा वर्ग के राज्य स्तर पर होने वाले इवेन्ट्स में निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान को भी विशिष्ट विद्यालयों की भांति पृथक इकाई मानते हुए राज्य स्तर पर सीधे भाग लेने की स्वीकृति शिक्षा विभागीय नियमान्तर्गत प्रदान की गई है।
13. निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान के 17 वर्ष एवं 19 वर्ष छात्र खिलाड़ियों द्वारा उक्त खेलों में राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में पृथक इकाई के रूप में भाग लेने पर उसकी सूचना आयोजक विद्यालयों के संस्था प्रधान को **प्रतियोगिता से 15 दिन पूर्व दी जायेगी।** राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितार्थ चयन समिति द्वारा शिक्षा विभाग की निर्धारित प्रक्रियानुसार उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जावेगा। यदि संस्कृत शिक्षा के खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व प्रशिक्षण शिविर हेतु होता है तो उसका नाम चयन सूची में निर्धारित संख्या में ही शामिल होगा।
14. **टे**बल टेनिस, बैडमिंटन एवं लॉन टेनिस के साथ–साथ नवीन शामिल खेलों में भी जिनमें लागू हों, दलीय स्पर्धा के साथ–साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का आयोजन भी करवाया जावें। 17 व 19 वर्ष छात्र–छात्रा के व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर ही जिले के दल का गठन चयन विधि द्वारा किया जावेगा। दोनों वर्ग 17 व 19 वर्ष छात्र–छात्रा में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढने के अवसर प्रदान करने हेतु इन खेलों की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के दो खिलाड़ी एवं सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के 5 खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेगें। अन्य दलों से पूर्व की भांति 01 ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा। व्यक्तिगत स्पर्धा हेतु ड्राज डालते समय अच्छे खिलाड़ी को सीडिंग दी जावें। इनकी ड्राज दलीय स्पर्धा में सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के निर्धारण होने के बाद डाली जावें। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के 2 खिलाड़ियों एवं सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के 05 खिलाड़ियों के नाम व्यक्तिगत क्रमानुसार प्रभारी से लिखित में लिये जावें। उसके बाद सीडिंग देकर ड्राज डाली जावें। ड्राज डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के प्रथम वरीयता वाले खिलाड़ियों का सेमी फाइनल से पहले मैच न हो सकें। टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल से पूर्व के मैचों में बेस्ट ऑफ 13 गेम, क्वार्टर फाइनल व सेमी फाइनल में बेस्ट ऑफ 17 गेम तथा फाइनल में बेस्ट ऑफ 3 सेट द्वारा निर्णय किया जावें।

gurusevarth.com

15. साइक्लिंग ट्रेक व साइक्लिंग रोड़ की जिला स्तरीय प्रतियोगिता एक साथ (एक ही चरण) में करवाई जावें एवं साइक्लिंग खेल में एक छात्र–छात्रा खिलाड़ी द्वारा साइक्लिंग ट्रेक एवं साईक्लिंग रोड़ दोनो खेलो में भाग ले सकता है।
16. शिक्षा विभागीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएं साहित्यिक–सांस्कृतिक प्रवृत्तियॉ आयोजन नियमावली एवं मार्ग दर्शिका 2022 के पृष्ठ संख्या 14 के बिन्दु संख्या 4.17.में वर्णित खेल क्रिकेट, कबड्डी, खो–खो, वॉलीबॉल में दलों (टीमों) की संख्या जिला स्तर पर 90 या इससे अधिक होने पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में समय अवधि में वृद्धि की जा सकती है। जो की अधिकतम 02 दिवस की जावें। जिसका समस्त उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का रहेंगा।
17. खिलाड़ी संख्या जो जिला स्तर पर निर्धारित है वही संख्या उनके लिए राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में लागू होगी।

सुविधा की दृष्टि से सभी स्तरों पर संभागी खिलाड़ियों की संख्या सत्र 2026–27 में निम्नानुसार होगी :–

क्र. सं.	खेल का नाम	उमावि स्तर (19 वर्ष छात्र–छात्रा)		मावि स्तर (17 वर्ष छात्र–छात्रा)	
		जिला स्तर	राज्य / राष्ट्रीय स्तर	जिला स्तर	राज्य / राष्ट्रीय स्तर
1	तैराकी	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
2	वॉलीबाल	12	12	12	12
3	हैण्डबॉल	16	16	16	16
4	हॉकी	18	18	18	18
5	सॉफ्टबाल	16	16	16	16
6	फुटबॉल	18	18	18	18
7	रग्बी फुटबाल	12	12	12	12
8	नेटबॉल	12	12	12	12
9	जिम्नास्टिक	31	31	18	18
10	बास्केटबॉल	12	12	12	12
11	क्रिकेट	16	16	16	16
12	बैडमिंटन	05	05	05	05
13	टेबल टेनिस	05	05	05	05
14	कबड्डी	12	12	12	12
15	खो–खो	12	12	12	12
16	लॉन टेनिस	05	05	05	05
17	तीरंदाजी (इण्डियन / रिकर्व / कम्पाउण्ड राउण्ड)	12	12	12	12
18	शतरंज	05	05	05	05
19	मलखम्ब	04	04	04	04
20	योगा	06	06	06	06
21	सेपक टकरा	05	05	05	05
22	रोलर स्केटिंग	06	06	06	06
23	राईफल शूटिंग	प्रत्येक इवेन्ट में 03	प्रत्येक इवेन्ट में 03	प्रत्येक इवेन्ट में 03	प्रत्येक इवेन्ट में 03
24	एथलेटिक्स	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
25	साइक्लिंग रोड़	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
26	साइक्लिंग ट्रेक	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो	प्रत्येक इवेन्ट में दो
27	बॉक्सिंग	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1
28	वेट लिफ्टिंग	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1
29	वुशु	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1
30	कराते	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1
31	ताइक्वाण्डों	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1
32	जूडो	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1	वजनवार –1
33	कुश्ती	वजनवार – 1	वजनवार – 1	वजनवार – 1	वजनवार – 1

नोट – एथलेटिक्स एवं तैराकी में प्रत्येक रिले में खिलाड़ियों की संख्या चार होगी एवं अन्य खेलों के संबंध में खिलाड़ियों की संख्या SGFI द्वारा खेलवार संख्या जारी किये जाने अनुसार ही प्रतियोगिता आयोजित की जाए।

gurusevarth.com

18. एथलेटिक्स व तैराकी 17 व 19 वर्ष आयुवर्ग की छात्र–छात्राओं द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले प्रथम व द्वितीय, रिले में समय के आधार पर श्रेष्ठ चार, तीरंदाजी (इण्डियन,फीटा व कम्पाउण्ड राउन्ड) में कुल अंकों के 30 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी भाग लेंगे। निर्धारित मानदंड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को उक्त खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं भिजवाया जावें। यह सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–नोडल अधिकारी), शिविराधिपति, टीम प्रभारी एवं प्रशिक्षक का होगा। तीरंदाजी (इण्डियन, फीटा व कम्पाउण्डराउन्ड) की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने वाले खिलाड़ी को ही भाग लेने का प्रमाण पत्र देय होगा। दलीय स्पर्धाओं में भी दल द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर दल के सभी सदस्यों को स्मरण/मेरिट प्रमाण पत्र दिये जावेंगे। राज्य स्तर पर निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले खिलाड़ियों को भाग लेने/मेरिट प्रमाण पत्र नहीं दिये जावे। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध खेलकूद प्रतियोगिता नियमावली, 2005 के बिन्दु संख्या 10.2.6 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
19. खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक एवं संस्था प्रधान पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र की हार्डकॉपी का ऑनलाईन भली–भाँति मिलान करें। संस्था प्रधान छात्र की जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, प्रवेशांक (स्कॉलर) रजिस्टर से मिलान करने के पश्चात छात्र–छात्रा के पात्रता/योग्यता प्रमाण पत्र को लॉक करने के उपरान्त प्रमाणित करें। खेल में सहभागिता /मेरिट प्रमाण पत्र संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित योग्यता प्रमाण पत्र के आधार पर ही तैयार किये जाते हैं। अतः बाद में इन प्रमाण पत्रों में दर्शाई गई जन्मतिथि, नाम आदि में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।
20. विद्यालय/जिलों की टीमों के साथ आने वाले शिक्षक/प्रशिक्षक को निर्णायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सम्बन्धित शारीरिक शिक्षक निर्णायक के रूप में कार्य करेगा। **राजकीय कार्मिकों को ही दलाधिपति/मैनेजर/प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जावें। आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।**
21. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के समेकित परिणाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निम्न प्रारूप में उपनिदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को निश्चित रूप से भिजवावें:–**

क्र. सं.	खेल का नाम	प्रतियोगिता स्थल का नाम	प्रतियोगिता अवधि	प्रथम तीन स्थानों के परिणाम (विद्यालय के नाम सहित)	संभागी टीमों की संख्या	कुल खिलाड़ी संख्या	निर्णायकों की संख्या	अन्य कार्मिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गत वर्षो में यह देखने में आया है कि उक्त सूचना समस्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नहीं भेजी जाती है। अतः भविष्य में सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त निर्धारित प्रपत्र में सूचना sec.sportsbkn@yahoo.comपर भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

22. खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क सभी विद्यालयों से निम्न दरों के अनुसार वसूला जावें:–

सामान्य वर्ग	**20 रूपये प्रति छात्र–छात्रा वार्षिक**
आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	**10 रूपये प्रति छात्र–छात्रा वार्षिक**

उक्त प्रतियोगिता शुल्क की कुल संग्रहीत राशि में से 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु अपने–अपने जिलो में आरक्षित रखें।उक्त राशि निदेशालय के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जावेगी। शेष रही 60 प्रतिशत राशि का व्यय करने के संबंध में खेलकूद नियमावली 2005 एवं संशोधित नवीन संस्करण 2021/2022 में प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। संग्रहित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सत्र में दो बार 30 सितम्बर एवं 31 मार्च तक सभी जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक अनिवार्यतः उप निदेशक (खेलकूद), माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भिजवायेंगे। उक्त प्रतियोगिता शुल्क की राशि समस्त राजकीय विद्यालयों, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी/निजी एवं अनुदान प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर तक के समस्त विद्यालयों को उनकी शाला दर्पण पोर्टल अथवा प्राईवेट स्कूल पोर्टल की विद्यार्थी संख्या रिपोर्ट संलग्न करते हुए भुगतान करना अनिवार्य है, चाहें विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेता हो अथवा नहीं। प्रतियोगिता शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले विद्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक–नोडल अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

gurusevarth.com

23. यदि माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र–छात्रा खिलाड़ी, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित होने वाली जिला स्तरीय उच्च प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद छात्र–छात्रा प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर 10 रूपये (दस रूपये) प्रति खिलाड़ी की दर से, जिसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग सम्मिलित है, के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा अपने जिले की समस्त विद्यालयों से ली गयी प्रतियोगिता शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) को राशि जमा करवायेंगे। उक्त आदेश प्रारम्भिक शिक्षा राज, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा / प्रारं / खेकू / स्वाशि / 7509 / पंचाग / 71 दिनांकः 27.08.2001 के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक : शिविरा / मा / खेलकूद–3 / 35101 / वार्षिक पंचांग / 2001–02 / 26 दिनांक : 30.08.2001द्वारा जारी किया जा चुका है।

24. **जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के सहभागिता लेने / मेरिट प्रमाण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर खिलाड़ी को अनिवार्यतः वितरित किया जावें।संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करें।** प्रमाण पत्र खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण पत्र के फोटो से मिलान करने के पश्चात खिलाड़ी के प्रतिपर्ण पर हस्ताक्षर लेकर उपस्थित खिलाड़ी को ही दिया जावें। अनुपस्थित खिलाड़ी के प्रमाण पत्र को अन्य किसी को नहीं दिया जावें। प्रमाण पत्र पर क्रमांक छपवाने अनिवार्य है तथा प्रमाण पत्र का प्रतिपर्ण गत सत्रों की भाँति छपवाया जावें एवं अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे। मेरिट प्रमाण पत्र प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को ही दिया जावें। मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को स्मरण प्रमाण पत्र भी दिया जावें। व्यक्तिगत एवं दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाडियों को भी मेरिट प्रमाण पत्र दिया जावें। कुश्ती व जूडो में तृतीय स्थान का मेरिट प्रमाण पत्र रेपीचार्ज पद्धति के आधार पर दो खिलाडियों को देय होगा।

25. जिन खेलों की 17 वर्ष एवं 19 वर्ष आयुवर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं खेलानुसार एक ही स्थान पर आयोजित होती है, जिसमें जिले के उक्त आयु वर्ग के छात्र–छात्रा एक ही स्थान पर भाग लेते हैं उनमें **छात्रा दल के साथ महिला अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक / महिला प्रभारी को ही लगाया जावे। अपरिहार्य कारणो से महिला अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक के स्थान पर पुरूष अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक को लगाया जाता है तो प्रतियोगिता आयोजक द्वारा प्रतियोगिता स्थल पर पुरूष अधिकारी / प्रशिक्षक / शारीरिक शिक्षक आदि की एवं छात्रा खिलाड़ियों के आवास की व्यवस्था अलग–अलग स्थानों पर की जावें। यह ध्यान रखा जावें कि छात्रा टीम के साथ महिला प्रभारी अनिवार्य भेजी जावे। यह सुनिश्चित करना कि छात्राओं के साथ महिला प्रभारी भेजी गयी है या नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक का उतरदायित्व होगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता स्थलों पर निर्णायक मंडल / चयन समिति में निर्धारित संख्यानुसार ही राजकीय शारीरिक शिक्षकों को लगाया जावे। इस हेतु प्रतिनियुक्ति आदेश जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक के हस्ताक्षरों द्वारा ही जारी किये जावे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारी / उप जिला शिक्षा अधिकारी (शा.शि.) द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जावें।**

26. S.G.F.I. (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा कुश्ती, जूडो, कबड्डी, एवं एथेलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु गत सत्रों में वजन निर्धारण एवं इवेन्ट केटेगरी के नये मानदण्ड निर्धारित किये हैं, अतः जिला / राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को इसी अनुरूप सम्पन्न करावें। निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट अलग से जारी किया जा रहा है।

27. एथलेटिक्स एवं तैराकी में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्पर्धा के अनुसार ही जिला / राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं को आयोजित करवायें। इस हेतु निर्धारित स्पर्धा एवं इन स्पर्धाओं हेतु निर्धारित मानदण्डों हेतु परिशिष्ट अलग से जारी किये जा रहे है।

28. **चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु जो सूची बनाई जाती है वह प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावें।**

29. राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में अधिक आयु के खिलाड़ियों को खेलने से रोकने तथा निर्धारित आयु के खिलाड़ियों को खेल का पर्याप्त अवसर देने हेतु राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आरम्भ से एक दिन पूर्व आयोजकों द्वारा गठित अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा सभी सम्भागियों का आयु सम्बन्धी मेडिकल परीक्षण करवाया जावेगा। इस हेतु समस्त सम्भागियों को प्रतियोगिता आरम्भ से एक दिन पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा दल प्रतियोगिता से वंचित होंगे।

30. सभी खेलों में शिक्षा विभाग एवं S.G.F.I. के नवीनतम नियम मान्य होंगे। आयोजन की दृष्टि से टाई ब्रेक, समय, सैट आदि के सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय नियम मान्य होंगे। लीग प्रणाली तथा लीग–कम–लीग अर्थात सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले सभी खेलों के मैचों में विजेता दल को 2 अंक व पराजित

gurusevarth.com

दल को 0 अंक एवं बराबर रहने वाले दलों को 1–1 अंक दिया जावेगा। विद्यालयी जिला/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में लीग, लीग–कम–लीग अर्थात् सुपर लीग प्रणाली से खेले गये समस्त खेलों के मैचों में टाई पड़ जाने अर्थात् अंको के आधार पर खेल परिणाम बराबर रह जाये तो टाई निम्नानुसार तोड़ी जावे :–

मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग–कम–लीग प्रणाली पर खेले जाए और दल बराबर रह जाते हैं तो प्राप्त गोल/स्कोर/सेट के औसत को आधार मान कर टाई तोड़ी जावे। गोल/स्कोर/सेट का तात्पर्य है "जिस दल के पक्ष में जितने गोल/स्कोर/सेट हुए है उनमें से उसी दल के विपक्ष में हुए गोल/स्कोर/सेट का अन्तर निकाल कर टाई तोड़ी जावे। यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाये तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्या में गोल/स्कोर/सेट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जावे, परन्तु यह गणना प्रत्येक स्तर के क्रम में अर्थात् लीग के लिए अलग तथा लीग–कम–लीग (सुपरलीग) के लिए अलग–अलग लागू होगी दूसरे शब्दों में पहले लीग मैचेज के रहे परिणाम लीग–कम–लीग प्रणाली (सुपरलीग) में लागू नहीं होंगे। लीग या सुपर लीग प्रणाली से खेले जाने वाले मैचों में टीमों की संख्या दो (2) ही रह जाये या दो ही हो तो नॉक आउट प्रणाली की भांति उस मैच का खेल विशेष के अनुसार परिणाम निकाल कर आगामी मैच के लिए दल का निर्धारण किया जावेगा।

31. विद्यालयी/क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तर में प्रत्येक भारवार के खेल में जिस केटेगरी/वजन के लिए जिस खिलाड़ी का चयन किया गया है, चयन परीक्षण भी उसी केटेगरी/वजन के खिलाड़ियों का आयोजित कर वजनवार दल गठन किया जावे एवं उसी वजन/केटेगरी में ही वह खिलाड़ी क्षेत्रीय/जिला/राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगा।
32. एथलेटिक्स में प्रत्येक इवेन्ट (दौड़ के अलावा) में खिलाड़ी को तीन–तीन अवसर दिये जावेंगे।
33. एथलेटिक्स, तैराकी एवं साइक्लिंग की चैम्पियनशिप हेतु रिले (टीम) में प्रथम, द्वितीय व तृतीय को क्रमशः 10–6–3 अंक तथा अन्य स्पर्धाओ हेतु 5–3–1 अंक दिये जावेंगे।
34. **17 व 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र–छात्रा दल खेल व व्यक्तिगत खेलो में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जावें।**
35. दल के अभिलेख, ध्वज आदि प्रतियोगिता स्थल पर ले जाने/जमा करवाने का उतरदायित्व संबंधित टीम/दल के दलाधिपति/दलनायक का होगा ।
36. जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में कम से कम चार दल एवं छात्रा वर्ग में कम से कम तीन दल जिला स्तर पर भाग लेना अनिवार्य होगा। यदि उक्त निर्धारित संख्या में दल जिला स्तर पर भाग नहीं लेते है तो दलों के मैच नियमानुसार आयोजित करवाकर संभागियों को स्मरण प्रमाण पत्र वितरित कर दिये जावे किन्तु उस खेल के दल उस वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। (उक्त नियम व्यक्तिगत स्पर्धा वाले खेलों के लिए लागु नहीं होगें।)
37. ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली शिक्षा विभागीय खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु आवेदन ऑफ लाईन जावेगें।

विशेष बिन्दु :–

- **जिला/राज्य स्तरीय स्मरण प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक कार्यालय द्वारा ही शाला क्रीड़ा शुल्क की 60 प्रतिशत राशि में से छपवाये जाएंगे किसी भी प्रतियोगिता आयोजक विद्य ालय द्वारा नहीं छपवाये जाएंगे।**
- **पूर्व के वर्षों में यह देखने में आया हैं कि विद्यालयी खेलों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के सभी जिलों के दल नहीं पहुंचतें है। इस हेतु समस्त जिशिअ (मु.) माध्यमिक यह सुनिश्चित करेगें कि अपने अपने जिले की सभी खेलों के दल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना करने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।**
- **सभी जिशिअ (मु.) माध्यमिक द्वारा छात्रा दलों की आवास व्यवस्था महिला प्रभारी सहित छात्र दलों से पृथक की जानी सुनिश्चित करेंगे।**
- **आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान सभी दलों, प्रभारियों, निर्णायकों के लिए सुगम व उचित एवं व्यवस्थित आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगें, जिसका निर्धारण जिशिअ (मु.) माध्यमिक की देखरेख में सुनिश्चित किया जायेगा।**
- **प्रतियोगिता आयोजन स्थल पर जिला/राज्य स्तर पर लगाये गए निर्णायक मंडल, चयन समिति सदस्य, प्रशिक्षक, शा.शि. अनिवार्य रुप से अपनी निर्धारित खेल पोशाक में ही उपस्थित रहेंगें।**
- **प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय प्रतियोगिता आयोजन से संबंधित समस्त दस्तावेज, प्रतिवेदन, अभिलेख आदि प्रतियोगिता समाप्ति के 07 दिवस में इस कार्यालय के खेलकूद अनुभाग में जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे। आयोजन हेतु आवंटित बजट के प्रतिवेदन संबंधी पूर्ण प्रपत्र–विपत्रों पर जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय**

gurusevarth.com

माध्यमिक महोदय द्वारा एवं उनके कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार्मिक द्वारा प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर ही प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

- **ऐसे विद्यार्थी जो प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत है और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता रखते, खिलाड़ी छात्र/छात्रा आवेदन कर सकेगें तथा आवेदन करने वाले विभागीय राजकीय विद्यालयों को छोडकर अन्य सभी संस्थाओं से नियमानुसार कीड़ा शुल्क लेना अनिवार्य हैं।**
- **प्रतियोगिता में परिवाद प्रस्तुत होने पर सक्षम जिला /राज्य स्तरीय परिवाद समिति द्वारा यथा समय पर निर्णय दिया जावें। निदेशालय स्तर पर परिवाद प्रकरण स्वीकार्य नहीं होंगे। केवल निर्णय के विरूद्ध अपील ही निदेशालय स्तर पर स्वीकार्य होगी। इस गम्भीरता से लेवें।**
- **राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग के पत्रांक : प.31(1)शिक्षा–5/2026/बजट घोषणा 2026–27(80.00)–39437 दिनांक :24.03.2026 (RajKaj Ref No.:21202480) की पालना में 70वीं राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रति आयोजक विद्यालय को राशि रू. 1,00,000/–देय होगी।**

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर एवं पदेन अति. राज्य
परि. निदेशक (वरिष्ठ) समसा।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,युवा एवं खेल मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सचिव,निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव/अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर।
7. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/3/6) विभाग, जयपुर।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश का प्रसारण अधीनस्थ अधिकारियों/कार्यालयों/विद्यालयों को अविलम्ब करने का श्रम करें तथा की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।
9. सिस्टम एनालिस्ट, (संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय, जोधपुर/ स्पोर्टस स्कूल।
11. समस्त प्रधानाचार्य सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र/खेल छात्रावास/शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र।
12. वरिष्ठ संपादक, शिविरा पत्रिका प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि कृपया खेलकूद पंचांग आगामी शिविरा पत्रिका में प्रकाशित कराने का श्रम करावें ।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर एवं पदेन अति. राज्य
परि. निदेशक (वरिष्ठ) समसा।

gurusevarth.com

शिक्षा विभाग समाचार

शिक्षा शिक्षक शिक्षार्थी सेवार्थ

EDUCATION DEPARTMENT NEWS

शिक्षा शिक्षक शिक्षार्थी

FOLLOW SHARE

Thank You

सबसे पहले सबसे तेज

WHATSAPP

Telegram

You Tube

Facebook

शिक्षा शिक्षक शिक्षार्थी से जुडी सभी खबरे सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमे **follow** अवश्य करे

Click To Follow Us

https://gurusevika.in/whatsapp